

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/176

जबलपुर दिनांक 10.01.2022

श्री रामू यादव, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी, कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर स्थानांतरित किया जाता है।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर दिनांक 10.01.2022

पृष्ठांकन क्रमांक A/177

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, म.प्र।
2. रजिस्ट्रार, प्रशासन/न्यायिक 1,2/डी.ई./आई.एल./सतर्कता, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
3. रजिस्ट्रार,(एम)(ई)/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
4. एस.पी.एस.ए, (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु,
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर/इन्दौर,
6. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्ट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
7. असि. रजिस्ट्रार, स्थापना, लेखा एवं प्रोटोकॉल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर लेखा, बजट, पेंशन, स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
10. सहायक स्थापना, लेखा वेतन पत्रक, डी.पी.एफ./अवकाश, ए.पी.ओ. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
11. श्री रामू यादव, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी, कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शनी शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)